

यूनिवर्सिटी वर्क्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
कोटेशन आमंत्रण सूचना (N.I.Q.)

क्र./यू.ई./आई.डब्ल्यू.डी./ 585

सागर, दिनांक-22/12/16

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा निम्नलिखित सामग्री हेतु मुहर बंद कोटेशन विश्वविद्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों अथवा प्रतिष्ठित डीलर्स/सप्लायर्स से दिनांक 28.12.2016 सायं 4.30 बजे तक विश्वविद्यालय यंत्री के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त कोटेशन प्रभारी यूनिवर्सिटी वर्क डिपार्टमेंट अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा समिति द्वारा खोले जायेंगे ।

क्र.	सामग्री का नाम	Quantity	सामग्री प्रदाय करने की समय अवधि
1.	Supplying of Various capacity of pumps and starter as per the specification attached	As per scheduled attached	15 दिवस

S.No.	Discription of Items	Quantity	Rate	Unit	Amount
AS PER SHEET ATTACHED (Annexure-1)					


- (अ) कोटेशन प्राप्त होने की तिथि 28.12.2016 सायं 4.30 बजे तक
 (ब) कोटेशन खोले जाने की तिथि 29.12.2016 सायं 4.30 बजे
 (स) अमानत राशि रु.3500.00 (डी.डी. कुलसचिव डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. के नाम)
 (द) कोटेशन प्रपत्र शुल्क रु. 100.00
 (इ) यह कोटेशन प्रपत्र वि.वि. की web site www.dhsgsu.ac.in पर उपलब्ध है। कोटेशन प्रपत्र के साथ कोटेशन शुल्क रु. 100.00 की डी.डी./वि.वि. केशियर शाखा की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।

निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है -

- पेन नंबर एवं टिन नंबर प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
- निविदाकार के विश्वविद्यालय में नजदीकी रिश्तेदार (लेखा शाखा में वित्ताधिकारी से अधीक्षक तक एवं यंत्री विभाग में कार्यपालन यंत्री से कनिष्ठ यंत्री तक) नहीं होने का प्रमाण पत्र ।
(रिश्तेदारों की परिभाषा- पति, पत्नि, अभिभावक, पुत्र, पुत्री, प्रपोत्र, भाई, बहिन साला, बहनोई, सास, ससुर)
- डीलर्स/सप्लायर्स की पुष्टि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
- वि.वि. में सूचीबद्ध ठेकेदारों को उपरोक्त प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य नहीं है।

प्रति,

.....


 विश्वविद्यालय अभियंता
 डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

नियम एवं शर्तें –

1. एकल अथवा समस्त कोटेशन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा ।
2. निर्धारित समय सीमा के उपरांत प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं होगा एवं सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं होंगे।
3. प्राप्त कोटेशनों की वैधता कोटेशन प्राप्त होने के अंतिम तिथि से 60 दिवस तक रहेगी।
4. दरें समस्त टैक्सों के साथ होंगी , कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा, एवं समस्त टैक्सों इत्यादि की कटौती शासन के नियमानुसार होगी।
5. भुगतान सामग्री प्रदान के वास्तविक माप/गुणवत्ता के आधार पर होगा
6. भुगतान क्रय आदेश के पूर्ण होने एवं सामग्री की गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर होगा।
7. किसी भी निरस्त सामग्री को सप्लायर्स के द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटाया जायेगा।
8. प्रदायकर्ता को सामग्री यू.डब्ल्यू.डी. विभाग अथवा कार्य स्थल पर प्रदान करना होगी।
9. सामग्री प्रदान करने की निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदान न होने की स्थिति में वि.वि. अन्य सप्लायर्स / डीलर से सामग्री क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा।
10. प्रदाय सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट, वॉरंटी कार्ड, सामग्री की प्रमाणिकता हेतु एवं अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
11. क्रय आदेश विश्वविद्यालय द्वारा पूर्णतः निरस्त किये जाने अथवा आंशिक रूप से संशोधित किये जाने पर सप्लायर्स किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
12. क्रय की गई सामग्री का भुगतान होने के उपरांत एक वर्ष के भीतर पोस्ट आडिट /पोस्ट टेक्निकल एग्जामिनेशन में यदि सप्लायर्स को किसी मद में अधिक राशि का भुगतान होना पाया जाता है तो वह अधिक भुगतान की राशि सप्लायर्स से बसूली योग्य होगी।
13. किन्हीं अपरिहार्य कारणों से सप्लायर्स करने हेतु दी गई समयावधि में सप्लायर द्वारा सामग्री की पूर्ति न कर पाने की स्थिति में सप्लायर समय वृद्धि हेतु लिखित आवेदन कर सकता है, एवं उचित कारणों से समय वृद्धि वि.वि. द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।
14. कोटेशन खोले जाते समय सप्लायर्स अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं उभयपक्षों को बंधनकारी होगा।
16. सप्लायर को वॉछित कम्पनी का डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है एवं इसके सत्यापन हेतु निविदा के साथ डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
17. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा खोले जाने की घोषित तिथि पर निविदा नहीं खोले जाते हैं तब निविदा खोले जाने की सूचना अलग से प्रदान की जायेगी

18. यदि न्यूनतम निविदाकार अपनी दरें वापिस लेता है तब सुरक्षा निधि की राशि राजसात की जावेगी, एवं उन्हें संबंधित कार्य के लिये पुनः निविदा देने का अधिकार नहीं होगा ।

19. आवश्यकता होने पर प्राप्त दरों पर क्रय का रिपीट आदेश भी जारी किया जा सकेगा ।

प्रतिलिपि:-

1. नोटिस बोर्ड
2. बेब-सेल
3. कुलपति के निज सचिव को सूचनार्थ ।
4. कुलसचिव के निज सचिव को सूचनार्थ ।
5. वित्ताधिकारी ।

वि.वि. यंत्र
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र)

वि.वि. यंत्र
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र)

Annexure-1

S. No.	Quantity	Description of Item	Per	Rate	Amount
1	1	Supplying of 20HP ,Three Phase 50Hz 415V open well Mono Block Horizontal summersible pump Head Mt. 29/63 Meter Discharge LPM 34/8 Delivery Size 65/80mm (make- CRI, Siemens, Kirloskar)	Each		
2	1	Supplying of 15HP ,Three Phase 50Hz 415V open well Mono Block Horizontal summersible pump Head Mt. 30/85 Meter Discharge LPM 15/9 Delivery Size 65/80mm (make- CRI, Siemens, Kirloskar)	Each		
4	1	Supplying of oil Immersed fully Automatic 20 H.P Star Delta Starter with powder coated finish for high resistance against corrosion Relay Range 20-33. (make- L&T, C&S, Siemens)	Each		
5	1	Supplying of oil Immersed fully Automatic 15 H.P Star Delta Starter with powder coated finish for high resistance against corrosion Relay Range 30-50 (make- L&T, C&S, Siemens)	Each		
				Total Rs.	

In Words-

Signature of contractor

Name

Address

.....